ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, 177023
के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025

भाग-1

1. **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत बारीं में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री रविंदर कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री प्यार चंद	01.04.2024 से 07.01.2025
2	श्री अशोक कुमार	08.01.2025से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.24 से 31.03.25 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक शेष में अंतर पाया जाना	0.01
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	13.66
3	7.1	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.002
4	7.2	पंचायत गृहकर/संपत्ति कर वसूली हेतु शेष	0.03
5	7.3	पंचायत का स्वच्छता शुल्क वसूली हेतु शेष	0.50
6	7.4	पंचायत की दुकानों के किराया वसूली हेतु शेष	0.26
7	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	10.49
8	8.2	संविदाकार/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.24
9	9.1	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु अधिक भुगतान करना	0.14
10	9.2	विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु बिना बिलों के भुगतान करना	0.65
11	9.3	औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.66
12	9.4	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत/जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना	1.32
13	9.5	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	2.14

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों हेतु जारी अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 13.05.2025 के प्रत्युतर में सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर का यह प्रथम अंकेक्षण है।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक और श्री पुनीत कुमार (आर्टिकल सहायक) द्वारा दिनांक 09.05.2025 से 14.05.2025 तक ग्राम पंचायत बारीं के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	08/2024	03/2025

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षणं प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800/-** (15वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा

परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 53/2025 दिनांक 14/05/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा पंजाब नेशनल बैंक टौनी देवी, हमीरपुर के डी.डी. न० – UMB 808512 दिनांक 15.05.2025, द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया है |

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत बारीं, द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 13.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-1** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (9) ऑनलाइन रोकड़ बहियों अर्थात स्व:स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना(VKVNY), विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम (SDP), राज्य आपदा राहत कोष SDRF, मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना MMGPY, स्वच्छ भारत मिशन (SBM PFMS), 15वें वित्तायोग व मनरेगा शीर्ष का रख-रखाव किया गया था।

4.1 (क) स्व: स्त्रोत :-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	534469.88	742188.00	1276657.88	794066.30	482591.58

(ख) 15वें वित्तायोग:-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के 15वें वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	2132041.00	1802811.00	3934852.00	1275555.00	2659297.00

(ग) अनुदान :-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2024-25	867471.00	5577888.00	6445359.00	5079098.00	1366261.00

(घ) संकलित वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

निधि	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अंत शेष (₹)
स्व: स्त्रोत निधि	2024-25	534469.88	742188.00	1276657.88	794066.30	482591.58
15वां वितायोग शीर्ष	2024-25	2132041.00	1802811.00	3934852.00	1275555.00	2659297.00
अन्य अनुदान	2024-25	867471.00	5577888.00	6445359.00	5079098.00	1366261.00
संकलित वित्तीय स्थिति	2024-25	3533981.88	8122887.00	11656868.88	7148719.30	**4508149.58**

4.2 दिनांक 31.03.25 को ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर के बैंक शेषों के अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	पंजाब नेशनल बैंक टौनी देवी	3310001700000960	481964.58
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089005892	174958.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम (SDP)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901547	155589.00
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901365	173741.00

	(VKVNY)			
5	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901592	832521.00
6	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901525	28182.00
7	15वें वितायोग	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901570	2659297.00
कुल योग				**4506252.58**

4.3 दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी पंचायत की वितीय स्थिति अनुसार :-

1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	482591.58
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1366261.00
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	2659297.00
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **कुल** अंतिम शेष	**4508149.58**
5	दिनांक 31.03.2025 को **हस्तगत** राशि **(घटाव)**	627.00
6	दिनांक 31.03.2025 को **असमायोजित** राशि **(घटाव)**	1270.00
7	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	**4506252.58**
8	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	**4506252.58**
अंतर		**0.00**

4.4 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतशेष में 0.01 लाख के अंतर का समाधान न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 2002के नियम 7(3) वं 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.2025 को निम्न तालिका अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अंतिम शेष में राशि ₹1270/- का अंतर पाया गया, पंचायत की सच्ची एवं सही वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता है:-

क्रम संख्या	रोकड बही का नाम	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही का अंतशेष (+)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक बचत खातों का अंतशेष (-)	अन्तर
1	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	29452.00	28182.00	1270.00
अन्तर				**1270.00**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि ₹1270/- के अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अन्तर की राशि की उचित स्रोत से वसूली करना सुनिश्चित करें।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनाँक 13.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 04 दिनांक 14.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश **शून्य** है।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि०प्र० पं० रा०(वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का

रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹13.66 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनाँक 14.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट-1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹1366261.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनाँक 14.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 04 दिनांक 14.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है"।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनाँक 13.05.2025 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवाना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० शिमला-9 के पत्र संख्या पीसीएच –एच ए (5)सी (15)313/89-4614 -4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है"। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनाँक 13.05.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 14.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता |

अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर खर्च की गई थी अथवा नहीं ?

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्व

7.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की प्राप्त राशि ₹200 को सरकारी कोष में जमा न करवाना:-

"हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के प्रावधानानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि०प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित आय लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है"।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹200**/- को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न **परिशिष्ट-2** में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 14.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि उक्त पत्र में वर्णित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹200/- को राजकीय कोष में जमा करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि के जमा व इन्द्राज उपरान्त अंकेक्षण को भी शीघ्र अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

7.2 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर राशि ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेष:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, वजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 13.05.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-3** अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत का गृहकर/सम्पत्तिकर वसूली हेतु राशि **₹2720/-** शेष थी।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान गृहकर की राशि की पूर्ण वसूली न कर पाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली कर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 पंचायत का स्वच्छता शुल्क राशि ₹0.50 लाख वसूली हेतु शेष:-

मिशन निदेशक, एस. बी. एम. जी. एवं निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या "एस एम जी-19/2020-21-आर डी डी-एस बी एम – जी" दिनांक 24.01.2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में परिसंपत्तियों के संचालन और रख-रखाव हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छता शुल्क निर्धारण हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने के उपरांत स्वच्छता कर प्राप्त करेगी" व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, वजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनाँक 13.05.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट- 3** अनुसार उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वच्छता शुल्क की देय राशि **₹50400/-** की वसूली हेतु शेष थी।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान स्वच्छता शुल्क की राशि की पूर्ण वसूली न कर पाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 पंचायत की दुकानों के किराये की राशि ₹0.27 लाख वसूली हेतु शेष:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी"।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 13.05.2025 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **परिशिष्ट-4** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन व अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि 31.03.2025 तक पंचायत के दुकानों के किराये की वसूली हेतु राशि **₹26500/-** शेष थी।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान दुकानों के किराये की उक्त राशि की वसूली न कर पाने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बकाया राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना राशि ₹10.49 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा"।

अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे। परिणामस्वरुप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट- 5** अनुसार राशि ₹1048893/- का अनियमित भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स

सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंकेक्षणावधि के दौरान ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: उक्त राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर जी. एस. टी. टी. डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.24 लाख का अधिक भुगतान करना :-

"हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है" |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट- 6** अनुसार राशि ₹1185133.00 (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि ₹23702.66 की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा

इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं | प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु राशि ₹0.14 लाख का अधिक भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत के प्रधान और सम्बद्ध सचिव निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करेंगे"।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि सलंग्न **परिशिष्ट-7** अनुसार राशि ₹14224/- का ईंट, रेत, बजरी के रूप में ग्राम पंचायत द्वारा अधिक भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14/05/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त अधिक भुगतान की वसूली करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत किये गए अधिक भुगतान की वसूली संबन्धित से करके अंकेक्षण में अपेक्षित अभिलेख सत्यापनार्थ प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जांच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी भी सुनिश्चित की जाए।

9.2 विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत करवाए गये निर्माण कार्य हेतु बिना बिलों के राशि ₹0.65 लाख भुगतान करना:-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 47, 48 और 61 के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी आपूर्ति के

भुगतान की मांग बिलों पर ही पेश की जानी निर्धारित है तथा लेखों का सही वर्गीकरण पूरी और सही विशिष्टियाँ बताने वाले वाउचर द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है " ।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 हेतु चयनित माह 03/2025 के व्यय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु सीमेंट व ढुलान के व्यय हेतु सलंग्न **परिशिष्ट-8** अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता को बिना बिलों के राशि ₹65023/- का भुगतान किया गया था, उक्त अनियमितता का यह प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14.05.2025 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया ।

प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित बिना बिलों के भुगतान के बिल लेकर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः बिना बिलों के आपूर्तिकर्ता को अदायगी करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से बिल प्राप्त करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए अन्यथा असमर्थित अभिलेख के भुगतान की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9.3 औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री राशि ₹1.66 लाख का क्रय करना :-

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं" |

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के दौरान चयनित मास 03/2025 में सलंग्न **परिशिष्ट-9** अनुसार पंचायत द्वारा राशि ₹165538/- की सामग्री का क्रय निविदाएँ (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है ।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2024 दिनांक 14.05.25 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित औपचारिकताओं को पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है ।

अत: अंकेक्षणावधि के दौरान उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की

कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर/स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.4 राशि ₹1.32 लाख की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् ,बजट, लेखे, संपरीक्षा, सकर्म, कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार स्टोर/स्टॉक प्रभारी द्वारा स्टॉक /सामान की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान चयनित माह 03/2025 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि सलंग्न **परिशिष्ट-10** अनुसार राशि ₹132210/- की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व खपत / जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14/05/2025 द्वारा यह प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 04 दिनांक 14.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित एवं नियमों के प्रतिकूल होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है|

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ अभिलेख में नियमानुसार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें|

9.5 राशि ₹2.14 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को वांछित सुसंगत अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 03/2025 में सलंग्न **परिशिष्ट-11** अनुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि **₹214468** का भुगतान किया गया था, जिसके सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 52/2025 दिनांक 14/05/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को अगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की पूर्ण जांच नहीं हो सकी |

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सहित अपेक्षित अभिलेख अन्केक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख / रजिस्टरों का अनुसरण करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न अभिलेख/रजिस्टरों का रख-रखाव नहीं किया गया था, इस प्रकार लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के रिसन (leakage) दुर्विनियोजन अथवा दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता है, जोकि अनियमित व आपतिजनक है।

हि०प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002			
क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33
3	बजट प्राकलन रजिस्टर	11	37
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रजिस्टर	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य)नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34
2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल संपत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 13/05/2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए आग्रह किया गया, जिसके प्रतिउतर में, सचिव द्वारा अपने पत्र 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों को तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 51/2025 दिनांक 13/05/2025 की अनुपालना में पत्र संख्या 04 दिनांक 14/05/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गए स्टोर / स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की संभावना से अंकेक्षण में इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है अपितु समय-2 पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं/नियम प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुये छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

19 JUL 2025 का0/प्रति

4567 - 4571

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)127/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 JUL 2025

का0/प्रति

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,177023

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	534469.88	742188.00	1276657.88	794066.30	482591.58

15 वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	2132041.00	1802811.00	3934852.00	1275555.00	2659297.00

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	867471.00	5577888.00	6445359.00	5079098.00	1366261.00

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	3533981.88	8122887.00	11656868.88	7148719.30	4508149.58

Diff	1897.00

Ashok

बारीं

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177023

वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	534469.88	742188.00	1276657.88	794066.30	482591.58
2	अनुदान (प्लानिंग)	0.00	711735.00	711735.00	536777.00	174958.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	215308.00	430220.00	645528.00	489939.00	155589.00
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना VKVNY	261931.00	126423.00	388354.00	214613.00	173741.00
5	राज्य आपदा राहत कोष्र SDRF	377476.00	1255719.00	1633195.00	800674.00	832521.00
6	स्वच्छ भारत मिशन SBM PFMS	0.00	330877.00	330877.00	330877.00	0.00
7	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना MMGPY	12756.00	96396.00	109152.00	79700.00	29452.00
8	15 वें वितायोग	2132041.00	1802811.00	3934852.00	1275555.00	2659297.00
9	मनरेगा	0.00	2626518.00	2626518.00	2626518.00	0.00
कुल योग		**3533981.88**	**8122887.00**	**11656868.88**	**7148719.30**	**4508149.58**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बारीं
(सीमी देवी)

21

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,177023

दिनांक-31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	पंजाब नेशनल बैंक टौनी देवी	3310001700000960	481964.58
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089005892	174958.00
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम (SDP)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901547	155589.00
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (VKVNY)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901365	173741.00
5	राज्य आपदा राहत कोष (SDRF)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901592	832521.00
6	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901525	28182.00
7	15वें वितायोग	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901570	2659297.00
कुल योग				4506252.58

22

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बारीं

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश,177023							
दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-							
1	2	3	4	5	7		9
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	हस्तगत राशि (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्रोत	पंजाब नेशनल बैंक टौनी देवी	3310001700000960	481964.58	482591.58	627.00	**627.00**
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक टौनी देवी	20089005892	174958.00	174958.00	0.00	**0.00**
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901547	155589.00	155589.00	0.00	**0.00**
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901365	173741.00	173741.00	0.00	**0.00**
5	राज्य आपदा राहत कोष SDRF	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901592	832521.00	832521.00	0.00	**0.00**
6	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना MMGPY	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901525	28182.00	29452.00	0.00	**1270.00**
7	15 वां वितायोग	के सी सी बैंक टौनी देवी	50052901570	2659297.00	2659297.00	0.00	**0.00**
कुल योग				**4506252.58**	**4508149.58**	**627.00**	**1897.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...बारीं...
विकास खण्ड बमसन (टौनी देवी)

23

परिशिष्ट 1.4 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	4508149.58
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	4506252.58
अन्तर		**1897.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	482591.58
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1366261.00
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	2659297.00
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **कुल** अंतिम शेष	**4508149.58**
5	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत निधि) **(घटाव)**	627.00
6	दिनांक 31.03.2025 को मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना **(घटाव)**(असमायोजित)	1270.00
7	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	**4506252.58**
8	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	**4506252.58**
अंतर		**0.00**

Ashok
बारीं

25

परिशिष्ट 2 पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2024 से 31.03.2025)							
क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी (₹)	प्राप्त राशि (₹)	बकाया राशी (₹)
1	Adit chouhan s/o shivraj vill jhanikkar	21.07.2024	27.07.2024	-	200	200	0
Total					200	200	0

Athub
पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बारी
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

25

परिशिष्ट 3 पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	810	644	20	12880	13690	10970	**2720**

"3" "7.3"

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **सफाई शुल्क** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	सफाई शुल्क वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	33840	644	120	77280	111120	60720	**50400**

Ashok

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...बारीं.......
(टौणी देवी)

26

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 7.4 में संदर्भित							
ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
दूकानों के किराया वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)							
Mr. Rajeev kumar							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	Rent monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	2000	12 x 500	6000	8000	6000	2000

Mr. Sanjay kumar							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	8000	12 x 500	6000	14000	13500	500

Mr. Swaroop singh							
Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	18000	12 x 500	6000	24000	0	24000

Total	26500.00

Ashil

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बारी
विकास खण्ड बमसन (टोणी देवी)

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	निधि	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	विक्रेता का नाम व पता	सामग्री	मात्रा cum	कुल भुगतान राशि
1	Manrega	Add. Amount For C/o Children Park Vill. Barin	129	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	18	23,220.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
2	Manrega	C/o R/Wall Near Multipurpose Complex Village Chahar	153	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	18	23,220.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
			158	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	12	15,480.00
					Cr. Sand	6	8,940.00
			159	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	18	23,220.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
3	Manrega	C/o P/Wall Near H/o Parveen Kumar S/o Kanshi Ram Village Chahr	98	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
4	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Leela Devi W/o Bidhi Chand Vill. Basantpur W.No.4	96	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
5	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/ O Kuldeep Singh S/o Bidhi Chand Vill. Chahar W.no.3	103	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR: Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	3.81	5,872.00
6	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/ O Naresh Kumar S/o Mast Ram Vill. Barin W.No.2	107	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	5.03	7,746.00
7	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Rajesh Kumar S/o Prithi Chand Vill. Chattrial	89	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
8	Manrega	C/o RWHT Near H/o Sanjay Kumar S/o Pradeep Kumar Vill. Barin	108	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	12	14,520.00
					Cr. Sand	5.46	8,387.00
9	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Rajinder Kumar S/o Gangu Ram Vill. Chhatrial	85	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,260.00
10	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Sant Ram S/o Jogi Ram Vill. Chahar	94	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,260.00
11	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Baldeev Singh S/o Daroga Ram Vill. Chattrial	88	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,260.00
12	Manrega	C/o RWHT Near H/o Ashok Kumar S/o Bakshi Ram Vill Basantpur	110	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	12	14,520.00
					Cr. Sand	4.63	7,129.00
13	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Parmanand S/o Lacho Ram Vill Chahar	134	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	5.6	8,344.00
					Cr. Sand	4.61	6,864.00
14	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Arun Kumar S/o Rikhi Ram Vill Chahar	132	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	5.6	8,344.00
					Cr. Sand	4.65	6,916.00
15	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Roshan Lal S/o Dhawan Singh Vill Chahar	105	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	5.17	7,977.00
16	Manrega	C/o R/Wall Near H/o Mehar Chand S/o Roshan Lal Vill Barin	109	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	5.19	7,985.00
17	Manrega	C/o Pucca Danga Near the H/o Pinko Devi W/o Hukam Chand Vill Barin	133	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	5.6	7,224.00
					Cr. Sand	5.36	7,984.00
18	Manrega	C/o R/Wall Near H/o Kartar Chand S/o Roshan Lal Vill Chahar	104	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	5.17	7,969.00
19	Manrega	C/o Path Near H/o Brij Lal Towards Meera Devi House Village Jhanikker	82	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	24	29,040.00
					Cr. Sand	18	27,720.00
20	Manrega	C/o R/Wall Near H/o Kuldeep Singh S/o Looka Ram Vill. Chahar	87	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
21	Manrega	C/o P/Wall Near h/o Keshav Ram S/o Jaru Ram Village Chahar	83	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
22	Manrega	C/o RWHT Near H/o Sushil Kumar S/o Ram Sharan Vill. Barin	84	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	12	14,520.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
23	Manrega	C/o P/Wall Near H/o Dalip Singh S/o Khayali Ram Vill. Chahar	95	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
24	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Rakesh kumar S/o Bidhi Chand Vill. Chattrial W.No.4	99	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
25	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Vijay Kumar S/o Damodar Dass Vill. Barin	90	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
26	Manrega	C/o Pucca Danga Near H/o Subhash Chand S/o Amar Singh Village Chhatrial	86	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	CR. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
32	SDRF	मु० रास्ता और सुरक्षा दीवार N/H सन्नी कुमार सुपुत्र मेहर सिंह गांव छत्रैल	42	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	Cr. Agg	6	7,740.00
					Cr. Sand	6	8,940.00
					Cr. Agg	4	2,824.00
33	SDRF	मु० रास्ता और सुरक्षा दीवार आंगनवाडी केंद्र गांव चाहड	22	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP.	Cr. Agg	6	7,740.00
					Cr. Sand	6	8,940.00
			43		Cr. Agg	6	7,740.00
34	SDRF	मु० रास्ता और सुरक्षा दीवार N/H करतार चंद सुपुत्र बसंत राम गांव चाहड	21	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	Cr. Agg	6	7,740.00
					Cr. Sand	6	8,940.00
			42		Cr. Agg	4	5,160.00

Ashok

35	SDRF	मु० रास्ता और सुरक्षा दीवार N/H ब्रह्मी देवी गांव छत्रैल	39	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	Cr. Agg	12	15,480.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
			44		Cr. Agg	12	15,480.00
36	SDRF	मु० रास्ता और सुरक्षा दीवार N/H सुशील कुमार सुपुत्र श्री बक्शी राम गांव छत्रैल वार्ड स० 4	23	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	Cr. Agg	12	15,480.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
			48		Cr. Agg	12	15,480.00
37	SDRF	मु० रास्ता और सुरक्षा दीवार N/H रूप लाल गांव बारीं	40	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	Cr. Agg	16	20,640.00
					Cr. Sand	8	11,920.00
38	SDP	नि० रास्ता व सुरक्षा दीवार N/H प्रकाश चंद गांव छत्रैल	8		Cr. Agg	6	7,260.00
39	SDP	C/o सुरक्षा दीवार बहुउद्देशीय केंद्र गांव चाहड	10	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	Cr. Agg	18	23,220.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
40	SDP	नि० सुरक्षा दीवार N/H बक्शी राम के घर राजीव कुमार के घर तक गांव छत्रैल	16		Cr. Agg	16	20,640.00
					Cr. Sand	8	11,920.00
41	SDP	मु० शमशानघाट व रेन शेल्टर गांव वारीं	21		Cr. Agg	6	7,740.00
					Cr. Sand	6	8,940.00
					Cr. Agg	5	6,450.00
42	VKVNY	अपवर्धन शमशानघाट गांव झनिकर	3		Cr. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
			6		Cr. Agg	24	30,960.00
					Cr. Sand	12	17,880.00
43	VKVNY	नि० रास्ता व सुरक्षा दिवार दलीप सिंह गांव बारीं	4		Cr. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	3.7	5,698.00
			6		Cr. Agg	6	7,260.00
44	MMGPY	नि० रास्ता गांव छत्रैल	8		Cr. Agg	3	3,630.00
					Cr. Sand	6	8,370.00
45	SBM(G)	C/o CSC Near Vaterninary Hospital Chhatrail	123		Cr. Agg	12	14,520.00
					Cr. Sand	6	9,240.00
			124		Cr. Agg	6	7,260.00
					Cr. Sand	12	18,480.00
					Plat Sand	6	11,400.00
			कुल योग				1048893.00

Ashok
वारी

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)	Aggregate ,Sand and cut stone	1185133.00	23702.66
कुल योग					**23702.66**

Ashil

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :-कोमन सर्विस सेंटर नजदीक पशु चिकित्शाल्य, छत्तरेल निधि का नाम - एसबीएम				
स्वीकृत राशि -420000 /-				
कुल खर्च राशि - 420000 /-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम/ मात्रा c3	मात्रा c3	माप पुस्तिका अनुसार कुल खपत	रेत c3
MB-13933 36-41	1:3:6 =25.65 x .47=12.05 1:1.5:3=5.87 x .47 =2.75 brick wk= 3.86 x 0.26 =1.0 Half brick wk= 52.79 x 0.03 =1.58 12mm plaster= 27.54 x 0.012 =0.33 15mm plaster= 94.22 x 0.018 =1.69 floor tiles =21.53 x 0.016 =0.34 wall tiles= 28.39 x 0.016 = 0.45		20.19	20.19
Total				20.19
बिल संख्या-123,124 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				24
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				3.81
क्रय दर				1900/-
अधिक भुगतान				7239
कुल अधिक भुगतान राशि				7239/-

2. निर्माण कार्य का नाम :- रास्ता व डंगा सुशील कुमार, गाँव छत्तरेल निधि का नाम - एसडीआरएफ़				
स्वीकृत राशि -115000/-				
कुल खर्च राशि -110000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	बजरी
MB-10978 13-15	1:5:10	25.39	0.89	22.59
Total				**22.59**
बिल संख्या- 167,189/ स्टॉक रजिस्टर पेज न० के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				24
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.4
क्रय दर				1290
अधिक भुगतान				1806
कुल अधिक भुगतान राशि				**1806**

3. निर्माण कार्य का नाम :-गौ शेड खुशाल कुमार गाँव बारीं निधि का नाम - मनरेगा				
स्वीकृत राशि -100000/-				
कुल खर्च राशि -75684/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम/मात्रा**	**माप पुस्तिका अनुसार कुल खपत**	**रूपांतरण कारक**	**ईंट**
MB- 10946 30-31	ईंट	5.73	475	2722
Total				**2722**
बिल संख्या-443/ स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				3300
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				578
क्रय दर				8.96
अधिक भुगतान				5179
कुल अधिक भुगतान राशि				**5179/-**

Ashok TOTAL = 14224/-

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...बारी.......
(टोपी देवी)

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित					
ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर					
बिना बिल के किया गया भुगतान					
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	दिनांक	कार्य का नाम	भुगतान का विवरण	राशि (₹)
1	अनुदान प्लानिंग	15.03.25	निर्माण रोड छल्लाल से बसंतपुर	सीमेंट	14717
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	01.03.25	निर्माण शमशान घाट गाँव झानिक्कर	सीमेंट	27406
3	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	03/20.05.24	निर्माण रास्ता छत्तरेल	ढुलान	13000
4	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	04/20.05.24	निर्माण रास्ता छत्तरेल	ढुलान	9900
कुल योग					**65023**

परिशिष्ट 9 पैरा संख्या 9.3 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए	राशि (₹)
1	स्वच्छ भारत मिशन PFMS	निर्माण कोमन सर्विस सेंटर छार	137/19.11.24	vijay traders, hospital chowk, touni devi, hamirpur	hardware items	43040
2	स्वच्छ भारत मिशन PFMS	निर्माण कोमन सर्विस सेंटर छार	139/19.11.24	vijay traders, hospital chowk, touni devi, hamirpur	सरिया	45798
3	स्वच्छ भारत मिशन PFMS	निर्माण कोमन सर्विस सेंटर छार	171/19.11.24	vijay traders, hospital chowk, touni devi, hamirpur	टाइल्स	14000
4	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	निर्माण रास्ता छत्तरेल	01/03.05.24	Guruji tiles works, vill patta, hamirur	टाइल्स	39800
5	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	निर्माण रास्ता छत्तरेल	03/20.05.24	pankaj aarya vill chattrail,	ढुलान	13000
	मुख्य मंत्री ग्राम पथ योजना	निर्माण रास्ता छत्तरेल	04/20.05.24	rajnish kumar, vill laveda, touni devi	ढुलान	9900
	कुल योग					**165538**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बारीं
विकास खंड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि०प्र०)

परिशिष्ट 10 पैरा संख्या 9.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने बारे

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	मुरमत शमशान घाट व रेन शल्टर गाँव बारी	21/29.03.25	Happy Jaswal Village Ropari, P.O. Dera Parol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP	रेत, बजरी	29372
2	स्वच्छ भारत मिशन PFMS	निर्माण कोमन सर्विस सेंटर छार	137/19.11.24	vijay traders, hospital chowk, touni devi, hamirpur	hardware items	43040
3	स्वच्छ भारत मिशन PFMS	निर्माण कोमन सर्विस सेंटर छार	139/19.11.24	vijay traders, hospital chowk, touni devi, hamirpur	सरिया	45798
4	स्वच्छ भारत मिशन PFMS	निर्माण कोमन सर्विस सेंटर छार	171/19.11.24	vijay traders, hospital chowk, touni devi, hamirpur	टाइल्स	14000
कुल योग						132210

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बारी

35

परिशिष्ट 11 पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित			
ग्राम पंचायत बारीं, विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर			
माप पुस्तिका प्रस्तुत न करने बारे			
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	अनुदान प्लानिंग	निर्माण रोड़ छल्लाल से बसंतपुर	16280
2	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	निर्माण रास्ता श्री बक्शी.राम के घर से राजीव कुमार के घर तक	37042
3	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	मुरमत शमशान घाट व रेन शल्टर गाँव बारी	3679
4	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	निर्माण मल्टीकॉम्प्लेक्स गाँव चाहर	46000
5	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	निर्माण शमशान घाट गाँव झानिक्कर	27406
6	राज्य आपदा राहत कोष	निर्माण रास्ता एन एच से रूप लाल के घर गाँव बारी	37092
7	राज्य आपदा राहत कोष	निर्माण रास्ता एन एच से सुशील कुमार के घर गाँव बारी	18397
8	राज्य आपदा राहत कोष	निर्माण रास्ता एन एच से ब्रमी देवी के घर तक गाँव छत्तरैल	28572
कुल योग			**214468**

Ashok

ak